



VIKRAM UNIVERSITY
Ujjain

2019-20
MPonline Limited
ISO/IEC 27001:2015 Certified
Partnership between Govt of Madhya Pradesh and MP

RENEWAL FEE RECIEPT 2018-2019/2019-2020

transaction detail

Application Number:	REN11100742	Payment Status:	Done On 31/01/2019
Payment Mode:	KIOSK	Channel Id:	K1345500144743
Transaction Id:	19013156310129918434	Portal Fee:	200 Rs.
Renewal Fee(Rs.):	167200	Late Fee (Rs.):	0(25% Late Fees)
GST Amount(Rs.):	30996(18% GST)	Total Fees(Rs.):	203396



QR Code Scan
to verify

Course detail Form Fees: 5000

SNo	Course Code	Branch Code	Branch Mode	Fee Type	Course Type	Intake	Course Status	Course Fee
1	BUMS	PLAIN	REGULAR	Temporory	NA	ON		167200

College Details

College Name:	ABDUL HAMID UNANI CHIKITSA COLLEGE, DEWAS(111)	College Code:	111
College District:	Dewas	Principal/Director Name:	ABDUL HANNAN FAROOQUI
College Type	NA	Phone Number (R)	
Email Id		Mobile Number	

DECLARATION

☐ I hereby declare that the information filled by me is true and complete as per my knowledge. If any information provided by me is found false or incorrect then I shall be disqualified by the University.

Print



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2018/1801

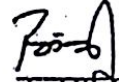
दिनांक : 10/08/18

-:: प्रमाण-पत्र ::-

प्रमाणित किया जाता है कि, हकीम अब्दुल हमीद यूनानी मेडिकल कॉलेज, देवास, तक विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय है। सत्र 2018-19 हेतु निरंतरता शुल्क महाविद्यालय द्वारा जमा किये जाने से, सम्बद्धता-निरंतरता की कार्यवाही प्रचलन में है।

यह प्रमाण-पत्र महाविद्यालय को तत्कालिन अकादमिक कार्यों हेतु प्रदान किया जा रहा है, विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय को पश्चातवर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जा कर आदेश निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2018/1802

दिनांक : 10/08/18

प्रतिलिपि :-

01. निदेशक, हकीम अब्दुल हमीद यूनानी मेडिकल कॉलेज, देवास से प्राप्त उनके अभ्यावेदन क्रमांक/10, दिनांक 09.08.2018 के संदर्भ में।
02. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
03. क्षेत्रीय अतिरिक्त, संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, शा. माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन।
04. प्राचार्य, संबंधित (अग्रणी) महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, परिक्षेत्र।
05. उप/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय, विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
06. समन्वयक, ऑनलाईन सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
07. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।


उपकुलसचिव(अकादमिक)



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/1404

दिनांक : 27.04.2016

सम्बद्धता निरंतरता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हकीम अब्दुल हामीद यूनानी मेडिकल कॉलेज, देवास विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय है ।

सत्र 2002-2003 से 2014-2015 तक महाविद्यालय में संचालित बी.यू.एम. एस. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता निरंतर है।



कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/1405

दिनांक : 27.04.2016

प्रतिलिपि :-

01. निदेशक, हकीम अब्दुल हामीद यूनानी मेडिकल कॉलेज, देवास
02. सचिव, केन्द्रीय काउन्सिल ऑफ इण्डियन मेडिसीन, जनकपुरी, नई दिल्ली, 61-65 इन्स्टीट्यूशनल ऐरिया जनकपुरी, नई दिल्ली।
03. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



प्रो. इंचार्ज (अकादमिक)



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

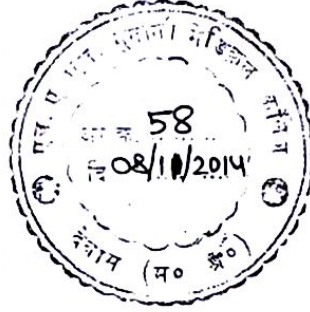
क्रमांक/अका./सम्बद्धता/2014/ 1143

दिनांक :- 28/10/14

-:: प्रमाण-पत्र ::-

प्रमाणित किया जाता है कि हकीम अब्दुल हामीद यूनानी मेडिकल कॉलेज, देवास विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय है।

सत्र 2013-14 एवं 2014-15 में महाविद्यालय में संचालित बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता निरंतर है।



आदेशानुसार

[Signature]

उपकुलसचिव (अकादमिक)

[Signature]

दिनांक :- 28/10/14

क्रमांक/अका./सम्बद्धता/2014/ 1144

प्रतिलिपि :-

- ✓ 01. प्राचार्य, हकीम अब्दुल हामीद यूनानी मेडिकल कॉलेज, देवास।
 02. प्राचार्य, शा.के.पी.स्नातकोत्तर(अग्रणी) महाविद्यालय, देवास।
 03. उप/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
 04. समन्वयक, नोडल सेल, (ऑनलाईन सेंटर) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
 05. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature]
उपकुलसचिव (अकादमिक)



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

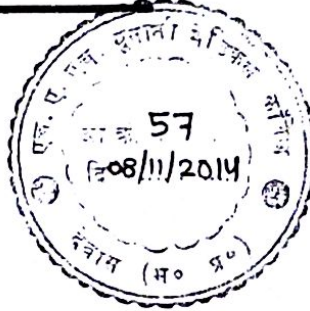
क्रमांक/अका./सम्बद्धता/2014/ 1003

दिनांक :- 1/10/14

-:: प्रमाण-पत्र ::-

प्रमाणित किया जाता है कि हकीम अबदुल हामीद यूनानी मेडिकल कॉलेज, देवास विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय है।

सत्र 2010-11, 2011-12, एवं 2012-13 में महाविद्यालय में संचालित बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता निरंतर है।



आदेशानुसार

उपकुलसचिव (अकादमिक)

क्रमांक/अका./सम्बद्धता/2014/ 1004

दिनांक :- 1/10/14

प्रतिलिपि :-

- ✓ 01. प्राचार्य, हकीम अबदुल हामीद यूनानी मेडिकल कॉलेज, देवास।
02. प्राचार्य, शा.के.पी.स्नातकोत्तर(अग्रणी) महाविद्यालय, देवास।
03. उप/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
04. समन्वयक, नोडल सेल, (ऑनलाईन सेंटर) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
05. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उपकुलसचिव (अकादमिक)

2006-07



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन



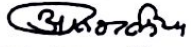
क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 06, 52/2

दिनांक : 13/11/2006

:: प्रमाण-पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि हकीम अब्दुल हमीद यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, देवास।
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय हैं।

सत्र 2006-2007 में बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष हेतु महाविद्यालय की सम्बद्धता
निरन्तर है।


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

प्रति।

प्राचार्य,
हकीम अब्दुल हमीद यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय,
देवास। (म.प्र.)

चित्रकर्म विश्वविद्यालय, सतपुड़ा

अकादमिक / सम्बन्धन / 05 / 1525

दिनांक : 05/12/2005

प्राचार्य,

इस्लाम अब्दुल हमीद यूनानी मेडिकल कालेज,

इसमाइ रोड, देवास

विषय :- सत्र 2005-06 में बी.यू.एम.एस.पाठ्यक्रम की सम्बद्धता निश्चय करने तथा बी.यू.एम.एस. तृतीय वर्ष की कक्षाएं प्रारम्भ करने विषयक।

व्यवस्थापक,

उपरोक्त विषय में आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि सत्र 2005-06 से महाविद्यालय में बी.यू.एम.एस.तृतीय वर्ष प्रारम्भ करने की अस्थायी अनुमति तथा पाठ्यक्रम की अस्थायी सम्बद्धता की निश्चयनानुसार उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के प्रतिबन्ध पर प्रदान की जाती है :-

शर्तें :-

1. विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र क्र. 1079 दिनांक 4.7.2005 में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति कर सूचित करें।
2. भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार क्रय की गई पुस्तकों की सूची प्रस्तुत करें।
3. प्राचार्य तथा व्याख्याताओं की विषयवार नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 28 के अनुसार करवाए।
4. महाविद्यालय के शासी निकाय के सदस्यों की सूची प्रस्तुत करें।
5. महाविद्यालय का स्वयं का भवन निर्मित कर शीघ्र विश्वविद्यालय को सूचित करें, तथा तब तक भवन निर्माण की राशि जमा करें।
6. उक्त प्रतिबन्धों की पूर्ति एक माह में करें।
7. पाठ्यक्रम में आगामी वर्ष की कक्षाएं प्रारम्भ करने हेतु 31.12.2005 के पूर्व विश्वविद्यालय में नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करें।

आदेशानुसार



सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

पि:-

दिनांक : 05/12/2005

अकादमिक / सम्बन्धन / 2005 / 1525

संक्षेपित :-

निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, वि. वि. उज्जैन।

आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, पांचवीं मंजिल, सतपुड़ा, भवन, गोपाल।

आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, गोपाल।

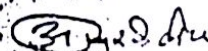
सचिव भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् इन्स्टीट्यूशनल ऐरिया जनकपुरी, नई दिल्ली।

उपकुलसचिव, अकादमिक, परीक्षा, गोपनीय, वि. वि. उज्जैन।

सहायक कुलसचिव, अकादमिक, परीक्षा, गोपनीय, वि. वि. उज्जैन।

संकायस्थ, विद्यार्थी कल्याण विभाग (पूछताछ विभाग) वि. वि. उज्जैन।

की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/प्रशासन/आर./सम्ब./2003/116

दिनांक 27.2003

प्रति,

प्राचार्य,

हकीम अब्दुल हमीद यूनानी मेडिकल कॉलेज,
3,ईदगाह रोड, देवास।

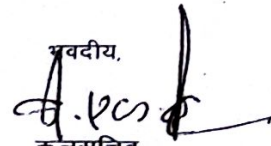
विषय :- महाविद्यालय में बी.यू.एम.एस. भाग-1 पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु नितांत अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के बाबत।
संदर्भ :- महाविद्यालय का पत्र क्रमांक निरंक दिनांक 29.11.2001

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित विषय में आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 6.5.2003 एवं कार्य परिषद की बैठक दिनांक 6.6.2003 के परिपालन में बी.यू.एम.एस. अध्यादेश कोसमन्वय समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में महाविद्यालय में प्रारंभ करने हेतु सत्र 2003-2004 से निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करने के प्रतिबंध पर नितांत अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 27 व 28 के प्रावधानान्तर्गत शर्तों की पूर्तिकर विश्वविद्यालय में प्रतिवेदन भेजें।

- 1 मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 13-96/2000/55 चि.शि./2/ दिनांक 5.2.2002 में उल्लेखित अनापत्ति शर्तों की पूर्ति करें।
- 2 अतिरिक्त संचालक, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 2032 दिनांक 25.7.2002 में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करें।
- 3 प्रस्तावित महाविद्यालय में एक प्राचार्य छः व्याख्याता, एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत करें।
- 4 इलमूल अमराज एवं सरियात के अन्तर्गत एक प्रावचक एवं व्याख्याता तथा कार्यालयीन कर्मचारियों की नियुक्ति की जाय।
- 5 भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 11-94/2002 दिनांक 20.7.2002 में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करें।
- 6 विश्वविद्यालय में कुलसचिव एवं प्राचार्य महाविद्यालय के संयुक्त नाम से रुपये 40,000.00 अक्षरी रुपये चालीस हजार रुपये की एफ.डी.आर. मूल जमा करावें।
- 7 बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष के लिये नितांत अस्थायी सम्बद्धता इस शर्त पर दी जाती है कि संस्था द्वारा निर्धारित मापदण्डों का विस्तार प्रतिवर्ष किया जावेगा तथा इसके लिये प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय दल द्वारा भौतिकी सत्यापन हेतु निरीक्षण किया जावेगा। महाविद्यालय को प्रतिवर्ष अगली कक्षाओं की सम्बद्धता के लिये निर्धारित प्रपत्र समय सीमा में आवेदन करना होगा।
- 8 विश्वविद्यालय के परिनियम क. 28 के अनुसार महाविद्यालय का स्वयं का भवन नहीं होने पर रुपये 5000.00 रुपये अक्षरी पांच हजार रुपये मात्र प्रतिवर्ष भवन निर्माण होने तक विश्वविद्यालय में जमा करावें।

कृपया उपरोक्त शर्तों की पूर्ति कर प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय में शीघ्र भेजें।

भवदीय,

कुलसचिव
fkh

क्रमांक/प्रशासन/आर./सम्ब./2003/117
2003

दिनांक 27.

प्रतिलिपि

- 1 निदेशक महाविद्यालयीन विकास परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
- 2 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग अ.शा.शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित शाखा सतपुडा भवन भोपाल।
- 3 अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 4 सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली।
- 5 उपकुलसचिव परीक्षा विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
- 6 उपकुलसचिव परीक्षा संबंधित उप विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

उपकुलसचिव (प्रशासन)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा,

सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462 004

क्रमांक/ / /02

भोपाल, दिनांक

प्रति,

कुलपति,

विश्वविद्यालय

(म0प्र0)

वर्ष 1

विषय:- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24 (दस) और 26(1) (पॉंच) के अन्तर्गत आयुक्त, उच्च शिक्षा की अस्थायी मंजूरी।

महोदय,

द्वारा अनुमति दी जाती है, (महाविद्यालय का नाम) को निम्नलिखित

संकाय/विषय की कक्षाएँ शुरू करने की मंजूरी 2002-03 तक के लिये दी जाती है -
बी. यू. एम. एल. - 2002-03

2. अगर महाविद्यालय द्वारा निम्नलिखित कमियों की पूर्ति तक नहीं की गयी तो यह मंजूरी निरस्त की जायेगी।

3. संस्था को इस शर्त के साथ अनुमति दी जाती है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग की इति पुरी करें तथा केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, दिल्ली तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश भोपाल से अनुमति प्राप्त करें।

4. अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें यथावत रहेंगी।
(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

भवदीया

(श्रीमती प्रभा वर्मा)

अतिरिक्त संचालक